प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग: देहरादून: दिनाँक: 27 जून, 2024

विषयः— जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह के अवशेष कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या—1896 / सं0नि0उ0 / दो—3(प्रे0ऊधमसिंहनगर) / 2023—24, दिनांक 14.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह के अवशेष कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 609.86 लाख (रू0 छः करोड़ नौ लाख छयासी हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष मूल आगणन रू0 167.37 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष शुद्ध धनराशि रू0 442.49 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख उनचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 176.99 लाख (रू0 एक करोड़ छियत्तर लाख निन्यानबे हजार मात्र) को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0—I/201358 /2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3— व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— उक्त कार्य के सम्बन्ध में विभागीय व्यय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

5— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0— 474 / XXVII(7) / 2008

I/219403/2024

दिनांक–15–12–08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017(यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13– व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमाकर दिया जाय।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

15– धनराशि का आहरण कार्य की भौतिक प्रगति के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रगति संतोषजनक होने पर किया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति – 800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिसर/कला केन्द्र/विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि का निर्माण–53–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के पूंजीगत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

9403/2024

3 – यह आदेश वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनु–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित ई0स0–I/199773/2024, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 21-06-2024 12:53:43

भवदीय,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Culture(S006)

HOD-Director Culture(4780)

आवंटन पत्र संख्या -E-43688
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S24060110026
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUN-2024

लेखा शीर्षक	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	04-कला और संस्कृति
	800-अन्य व्यय	03-सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र /विद्यालय/ आडिटोरियम आदि का निर्माण
	00-सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र /विद्यालय/ आडिटोरियम आदि का निर्माण	Voted

4	2	0	2	0	4	8	0	0	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	17699000	0	17699000
योग	0	17699000	0	17699000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,76,99,000 (Rupees One Crore Seventy Six Lacs Ninety Nine Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

27.06.24
(नीरज मल्ल)
अनुभाग अधिकारी
संस्कृति एवं धर्मस्व अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन